



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593 ]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 2000/भाद्र 20, 1922

No. 593]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2000/BHADRA 20, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2000

का.आ. 818(अ).—यतः केन्द्र सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना को लोकहित में जारी करना आवश्यक है;

अतः अब केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री के संबंध में, जिन्हें किसी भी व्यापारी द्वारा जिसका व्यापार स्थल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो, किसी पंजीकृत व्यापारी को जिसका व्यापार स्थल उक्त क्षेत्र से बाहर हो, अंतर्राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बेचा गया हो, उक्त धारा की उप-धारा (1) के तहत देय कर कॉलम (3) में ऐसी वस्तुओं के सामने विनिर्दिष्ट दर पर गिना जाएगा बशर्ते फार्म "ग" और "घ" भरना अनिवार्य हो।

तालिका

क्रम सं.	वस्तुओं का विवरण	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	होजरी	2%
2.	यार्न	2%
3.	कम्प्यूटर	2%

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. यू. 11028/3/2000-यूटीएल]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

2484 GI/2000

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2000

S.O. 818(E).—Whereas the Central Government is satisfied that it is necessary to issue this notification in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby directs that in respect of the sales of goods specified in column (2) of the table below, which are made in the course of inter-state trade or commerce by any dealer having his place of business in the National Capital Territory of Delhi to a registered dealer having his place of business outside the said territory, the tax payable under sub-section (1) of the said section shall be calculated at the rate specified against such goods in column (3) thereof subject to the condition that forms "C" to "D" shall continue to be mandatory.

TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of tax
(1)	(2)	(3)
1.	Hosiery	2%
2.	Yarn	2%
3.	Computers	2%

2. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. U-11028/3/200-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.